न्यायालय वाणिज्यिक न्यायालय, कोटा

पीठासीन अधिकारी : धर्मेंद्र शर्मा, आर.एच.जे.एस.

दीवानी वाद संख्या : 02/2018 (239/14)

हरीश चंद गर्ग पुत्र श्री पूरन चन्द गर्ग, प्रो0 मैसर्स हरिश चन्द्र गर्ग, उम्र 52 वर्ष, जाति महाजन, निवासी 896, शास्त्री नगर, दादाबाड़ी, कोटा (राज0)

...वादी

बनाम

1. यूनियन ऑफ इण्डिया (सम्मन जनरल मैनेजर, पश्चिम मध्य रेल्वे, इंद्रा नगर, जबलपुर)
2. उप–मुख्य अभियंता (सी) द्वितीय, पश्चित मध्य रेल्वे, कोटा जंक्शन, कोटा (राज0)

...प्रतिवादीगण

वाद बाबत प्राप्त करने राशि मूल रकम मय ब्याज जुमला 70,00,000/–रूपए अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 सी.पी.सी.

उपस्थितः–

श्री सतीश कुमार बक्षी, अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री नरेश शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से।

::: निर्णय ::: **दिनांक : 16.02.2019**

वादी की ओर से उक्त वाद दिनांक 05.11.2014 को माननीय जिला न्यायाधीश, कोटा के न्यायालय में पेश किया गया था। उसके पश्चात् वाणिज्यिक न्यायालय का गठन हो जाने के कारण उक्त प्रकरण दिनांक 07.09.2018 को अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किए जाने के आदेश दिए गए, जिस पर दर्ज रजिस्टर नियमित दीवानी वाद सं. 02/2018 किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से उक्त वाद विरूद्ध प्रतिवादी बाबत् प्राप्त करने मूल रकम 63,61,175/– रूपए एवं ब्याज 6,38,825/– रूपए जुमला 70,00,000/– रूपए का इस आशय का पेश किया गया कि वादी सार्वजनिक निर्माण विभाग में "अअ" श्रेणी में सिविल निर्माण कार्य हेतु एक पंजीकृत

ठेकेदार है जो राज्य व केन्द्रीय सरकार के अधीन विभिन्न कार्य सम्पादित करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा एक निविदा संख्या डिप्टी सी.ई/कोटा/आरएमए–बीपीएल/मिसलेनियस वर्क्स/2011 दिनांक 11.10.2011 बाबत् "Construction of Misc. Civil Engineering Works-e.g. Inspection Steps, Toe-wall, Ballast Retaining Wall and Letter Writing etc. in connection with RMA-BPL New B.G. Rail Line Project जारी कर दिया गया था तथा उपरोक्त कार्य हेतु अनुसूची–जी दर से 1.80 प्रतिशत अधिक दर से निविदा डाली गई, जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई।

वक्र ऑर्डर अनुसार कार्य की अनुमानित लागत 2,85,02,780.57 रूपए थी। उक्त कार्य दिनांक 11.10.2011 से 6 माह की अवधि अर्थात 10.04.2012 तक पूर्ण करना था। पक्षकारान के मध्य उक्त कार्य हेतु अनुबंध संख्या डिप्टी सीई/सिविल/कोटा सीए/125 दिनांक 02.12.2011 भी हस्ताक्षरित किया गया। टेण्डर शर्तों के अनुसार आवंटित कार्य पेटे प्रतिवादीगण के यहां धराहर राशि (एफ.डी.आर.) 2,90,000/– रूपए, परफोरमेंस गारंटी, कार्यादेश राशि की 5 प्रतिशत 14,25,139/– रूपए बैंक गारंटी के रूप में जमा करवा दी गई।

वादी ने कार्य आवंटन के साथ कार्य संपादन हेतु वांछित मेन, मशीनरी, लेबर एवं संसाधनों का प्रबंध कर लिया तथा सीमेंट हेतु 10 लाख रूपए लगभग अग्रिम राशि मंगलम् सीमेंट लि0 को भुगतान कर दिया। प्रतिवादी द्वारा उक्त कार्य की निविदा आमंत्रण वर्षाकाल 2011 पूर्व किया गया, जबकि वादी को कार्यादेश वर्षाकाल समाप्ति उपरांत दिनांक 11.10.2011 को दिया गया। निविदा एवं जारी कार्यादेश समयावधि के दौरान अत्यधिक वर्षा के कारण कार्य स्थल पर पहाड़ी क्षेत्र के एक्जीस्टिंग रेल्वे ट्रेक पर पहाड़ी के गिर जाने से भौगोलिक व तकनीकी स्थिति परिवर्तित हो गई थी। वादी द्वारा प्रतिवादीगण से व्यवधान रहित सम्पूर्ण कार्य स्थल, ड्राईंग–डिजाईन, साईट प्लान उपलब्ध कराने हेतु मौखिक निवेदन किया, परंतु प्रतिवादीगण द्वारा अपने दायित्वों की खानापूर्ति एवं मात्र औपचारिकता निभाते हुए अनुबंध से बाहर के कार्यों की ड्राईंग दिनांक 03.11.2011 को नंबर 1399 मूल प्रदाय की गई जो उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई। प्रतिवादीगण द्वारा पत्र क्रमांक कोटा/आर.बी./डब्ल्यू–162/आरएमए–बीपीएल दिनांक 03.11.2011 को मात्र सी.सी. कांकरीट की, टो–वाल एवं स्टोन पीचिंग की डाईंग–डिजाईन

दी गई। सी.सी. कांकरीट में टो–वाल बनाने हेतु प्रतिवादीगण द्वारा सम्पूर्ण अनुबंध काल समाप्ति तक कोई चाल प्रदान नहीं की गई तथा स्टोन पीचिंग आईटम वादी के अनुबंध में था ही नहीं। दिनांक 03.11.2011 को दी गई ड्राईंग नंबर 1398, जो इंसपेक्शन स्टेप्स फॉर मेजर एण्ड माईनरल ब्रिजेज की दी, उसके अनुसार 90 से.मी. चौड़ाई में सी.सी. में निर्मित किया जाना था, किंतु 2 फुट चौड़ाई में स्टोन, मेसेनरी में जबरन संपादित करने हेतु वादी पर दबाव डाला गया तथा वादी द्वारा प्रतिवादीगण के निर्देशानुसार परिवर्तित डाईंग व स्पेसिफिकेशन पर कार्य संपादित किया गया।

तीसरी ड्राईंग नंबर टी–I/ डीआरजी/ सिविल/ हाईट गेज/ आरडीएसओ/00001/05/0 के अंतर्गत जहां लेवल क्रोसिंग पर कार्य करवाया जाना था, वहां प्रतिवादीगण द्वारा अपने लेप्सेस छिपाने की गरज से वादी को कहा कि साईट इंजीनियर की उपस्थिति में कार्य संपादन हेतु नवीन ले–आउट दिया जावेगा, जिसमें प्रतिवादीगण असफल रहे, जिसके कारण वादी द्वारा लगाई गई मेन, मशीनरी, लेबर, संयंत्र आदि के अनुत्पादक रहने से तथा टो–वाल की परिवर्तित ड्राईंग समय पर उपलब्ध नहीं कराने से वादी को भारी क्षति उठानी पड़ी।

प्रतिवादीगण ने जबरन इंजीनियर नियोजन न करने का आक्षेप लगा कटौती कर ली गई, जिस पर दिनांक 10.04.2012 के पत्र से वादी ने एतराज किया। वादी द्वारा नियोजित मेन, मशीनरी, लेबर, सुपरवाईजर के आयडियल रहने से वादी को भारी क्षति हुई। प्रतिवादीगण द्वारा रेल्वे ट्रेक पर चढ़ने उतरने हेतु सीढ़ियां सी.सी. चौड़ाई 90 से.मी. निर्मित कर एप्रोच देना था, जिसको प्रतिवादीगण द्वारा परिवर्तित कर 60 से.मी. चौड़ाई में कार्यों को संपादित करने हेतु निर्देश दिया गया, जो प्रतिवादीगण स्तर पर ही कार्य अपूर्ण रहा। अनुबंध जी–शिड्यूल में टो–वाल लगभग 2000–2500 मीटर लंबाई का निर्माण किया जाना था जिसकी ड्राईंग लंबे समय बाद दिनांक 08.02.2012 को दी गई, इस हेतु वादी द्वारा दिनांक 06.02.2012 को एतराज दर्ज कराया गया। बेलास्ट रिटेनिंग वॉल बनाने हेतु वादी को डाईंग, डिजाईन व लोकेशन उपलब्ध नहीं करवाया गया। रेल्वे ट्रेक स्टेशन भवन फर्रलांग स्टोन, ब्रिजेज, गेज आदि कार्य रेल्वे स्तर पर पूर्ण होने के उपरांत वादी को लेटर–राईटिंग कार्य करना था, किंतु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कार्य पूर्ण नहीं करवाने के कारण वादी का कार्य भी पूर्ण नहीं हो सका। भारी वर्षा के कारण पहाड़ी का उपरी भाग ढह कर मलबा रेल्वे ट्रेक पर आ गया, जिससे क्षतिग्रस्त पुलियाओं की

स्थिति बहाल करने हेतु प्रतिवादीगण द्वारा पृथक से निविदा आमंत्रित की गई, जिसके फलस्परूप वादी को आवंटित कार्य का लगभग 40 प्रतिशत (एक करोड़ रूपए) का वर्क स्कोप बाधित हो गया। मूल साईट लोकेशन परिवर्तित कर रेल्वे द्वारा अन्य सेक्शन झालावाड़ में अण्डरपास पर लगभग अनुबंध समाप्ति पर हाईट गेज बनाने का निर्देश दिया गया, जिसकी डाईंग–डिजाईन वादी को उपलब्ध नहीं कराई गई।

वादी ने अपने क्लेम्स लिखते हुए जरिए अधिवक्ता धारा 80 जाप्ता दीवानी के नोटिस दिनांक 03.10.2013 एवं दिनांक 04.10.2013 प्रतिवादीगण को दिए, जिसका जवाब प्रतिवादीगण ने जरिए अधिवक्ता वादी को दिनांक 17.10.2013 को दिया। वादी, प्रतिवादीगण से अर्नेस्ट मनी 2,90,000/– रूपए, परफोरमेंस गारंटी 14,25,139/– रूपए, प्रथम रनिंग बिल से काटी धरोहर राशि 1,23,538/– रूपए, डिग्रीधारी इंजीनियर न रखने का आक्षेप लगाकर काटी गई राशि 25,000/– रूपए, साइट पर वास्तविक संपादित कार्य पेटे अंतिम बिल में वादी को देय राशि 9,81,000/– रूपए, मेन, मशीनरी, लेबर, सुपरवाईजर के आयडियल चार्जेज 2,04,000/– रूपए, अन्य कार्य डिप्टी सी.ई./सी/कोटा/सीए/133 से इस अनुबंध के पेटे काटी गई राशि 1,07,562/– रूपए, एस्केलेशन बिल में शेष भुगतान योग्य राशि 50,568/– रूपए, लोस ऑफ प्रोफिट्स बकाया विभाग द्वारा नहीं कराए गए कार्य पर 10 प्रतिशत से तथा ओवर हेड खर्चा 2 प्रतिशत से 31,54,368/– रूपए, उक्त वर्णित राशियों पर दिनांक 19.04.2012 से दावा दायरी तक 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज 6,38,825/– रूपए कुल 70,00,000/– रूपए वादी प्रतिवादीगण से लेने का अधिकारी है। वादी को प्रतिवादीगण से 70,00,000/– रूपए व उचित न्यायशुल्क 2,52,125/– रूपए एवं उक्त राशि पर दावा दायरी से तावसूली तक 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी वादी को दिलवाया जावे।

इसका जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण की ओर से जाहिर किया गया कि वादी एक पंजीकृत ठेकेदार होना स्वीकार है तथा वाद पत्र के चरण क्रम–2, 3 व 4 असल रिकॉर्ड की सीमा तक स्वीकार है। वाद ग्रस्त कार्य वादी को 6 माह की अवधि में ही पूर्ण करना था, इस हेतु वांछित मेन पॉवर व मशीनरी आदि की व्यवस्था करने में वादी असफल रहा। उक्त कार्य रामगंजमण्डी भोपाल नयी ब्रोडगेज रेल्वे लाईन प्रोजेक्ट का कार्य समय सीमा से पूर्व करना आवश्यक था जिसे वादी स्वयं के दोषों व अकुशलता के

कारण समय पर पूरा नहीं कर सका। उक्त कार्य की निविदा दिनांक 28.06.2011 को खोली गई, जिसमें निविदा कमेटी को 120 दिन की समयावधि में निविदा फाईनल करनी होती है। वादग्रस्त कार्य का स्वीकृति पत्र दिनांक 11.10.2011 को वादी के पक्ष में जारी किया गया। प्रतिवादी इस तथ्य से इंकार करता है कि उसके द्वारा वादी को अवरोध मुक्त साईट नहीं दी गई। वादी द्वारा लिखित पत्र दिनांक 06.02.2012 का समुचित उत्तर रेल्वे प्रशासन द्वारा दिनांक 24.02.2012 के पत्र से दे दिया गया था तथा सभी ड्राईंग व डिजाईन भी पूर्व में ही दी जा चुकी थी। कार्य के स्कोप में परिवर्तन कर दिए जाने के कथन असत्य है। वादी की कोई लेबर, मशीनरी, सुपरवाईजर आदि कभी आयडल नहीं रहे। वादी द्वारा ठेके का कार्य नहीं करने के कारण नियमानुसार नोटिस देकर कार्य समाप्त किया गया जो ठेके की सामान्य शर्त संख्या–62 के अधीन है। आर्बिट्रेशन क्लॉज कार्य की लागत से 20 प्रतिशत की सीमा में होने पर ही लागू होता है। वादी के धारा 80 सी0पी0सी0 के सूचना पत्र का समुचित उत्तर प्रतिवादीगण द्वारा दे दिया गया था। वादी का वाद मनगढंत व निराधार होने से वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है जिससे प्रतिवादीगण द्वारा वादी का वाद भारी हर्जे सहित निरस्त फरमाए जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक कायम किए हैंः–

1. **आया वादी द्वारा वाद पत्र की चरण संख्या–6 व 7 में वर्णित परिस्थितियों के कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं कर सका तथा साईट के संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सका। इस कारण वादी को आर्थिक क्षति हुई ?**

.....वादी

2. **आया वादी द्वारा कार्य पर डिग्रीधारी इंजिनियर का नियोजन प्रमाणित होने के बाद भी प्रतिवादीगण ने जबरन इंजीनियर नियोजन न करने का आक्षेप लगा कटौति कर ली गई, जिस पर दिनांक 10.04.2012 के पत्र से वादी ने एतराज जताया गया ?**

.....वादी

3. आया प्रतिवादीगण ने अपनी कमियों को छिपाते हुए दिनांक 19.04.2012 को 48 घंटे का नोटिस वादी को देते हुए अवैध तौर पर उसे टर्मीनेट करते हुए वाद पत्र की चरण संख्या–20 में वर्णित राशियों पर दिनांक 19.04.2012 से दावा दायरी तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पद से 6,38,825/– रूपए इस प्रकार कुल 70,00,000/– रूपए तथा उस पर दावा दायरी से ता वसूली तक 18 प्रतिशत वार्षिक से ब्याज वादी, प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है ?

.....वादी

4. आया निविदा की शर्तों के अनुसार वादी को ही वांछित मेन पावर तथा मशीनरी आदि की व्यवस्था करनी थी, जिसमें वादी स्वयं के दोषों को छिपाने के लिए बहाने करता रहा तथा स्वयं की अकुशलता, अकर्मण्यता, साधनहीनता, योग्यता प्राप्त इंजीनियर्स के अभाव के कारण कार्य करने में असफल रहा तथा ठेके का कार्य नियत समयावधि 06 माह में पूर्ण नहीं कर सका। इस कारण ठेके की सामान्य शर्त संख्या– 62 के अधीन प्रतिवादीगण ने वादी को नियमानुसार नोटिस दिया तथा वादी का क्लेम मनगढंत व निराधार होने व कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से खारिज होने योग्य है ?

..... प्रतिवादीगण

5. अनुतोष।

वादी की ओर से अपने वाद के समर्थन में वादी ने स्वयं को पी.डब्ल्यू. 1 हरीशचंद्र गर्ग के रूप में परीक्षित करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 रेल्वे पत्र, प्रदर्श–2 मय नक्शा, प्रदर्श–3 वादी द्वारा लिखा गया पत्र, प्रदर्श–4 रेल्वे द्वारा लिखा गया पत्र, प्रदर्श–5 वादी द्वारा लिखा गया पत्र, प्रदर्श–6 रेल्वे द्वारा लिखा गया पत्र, प्रदर्श–7 वादी द्वारा लिखा गया पत्र, प्रदर्श–8 रेल्वे द्वारा लिखा गया पत्र, प्रदर्श–9 वादी

द्वारा लिखा गया पत्र, प्रदर्श–10 रेल्वे द्वारा रिकवरी का पत्र जिस पर डिप्टी चीफ इंजिनियर के हस्ताक्षर हैं, प्रदर्श–11 रेल्वे द्वारा लिखा गया पत्र, प्रदर्श–12 वकील नोटिस वादी द्वारा दिया गया, प्रदर्श–13 व 14 पोस्टल रसीद, प्रदर्श–15 वकील नोटिस, प्रदर्श 16 व 17 पोस्टल रसीद, प्रदर्श–18 व 19 ए.डी. रसीद, प्रदर्श–20 रेल्वे द्वारा दिया गया नोटिस का जवाब, प्रदर्श–21 प्रथम रनिंग बिल की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–22 रनिंग बिल की प्रति जो रेल्वे ने पेश की, प्रदर्श–23 मंगलम सीमेंट की लेजर बुक को प्रदर्शित करवाया गया।

प्रतिवादी की ओर से डी.डब्ल्यू.–1 अशोक पाल सिंह को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श ए–1 रूपए जमा करवाने बाबत नोटिस, प्रदर्श ए–2 साईट रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श ए–3 साईट ऑर्डर बुकिंग, प्रदर्श ए–4 लेबर रजिस्टर, प्रदर्श ए–5, प्रदर्श ए–6 लगायत प्रदर्श ए–15 वादी को लिखा गया रेल्वे का पत्र, प्रदर्श ए–16 एकाउंट कान्ट्रेक्ट सर्टिफिकेट, प्रदर्श ए–17 बैलेंस शीट, प्रदर्श ए–18 फाइनल वेरिएशन स्टेटमेंट, प्रदर्श ए–19 लगायत 22 वादी द्वारा लिखे गए पत्र को पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।

मैंने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्येक विवाद्यक पर मेरा निष्कर्ष निम्नानुसार हैः–

विवाद्यक संख्या–1 "आया वादी द्वारा वाद पत्र की चरण संख्या–6 व 7 में वर्णित परिस्थितियों के कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं कर सका तथा साईट के संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सका। इस कारण वादी को आर्थिक क्षति हुई ? "

इस विवाद्यक को सिद्ध करने का भार वादी पर था। जिसको लेकर वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र के पैरा संख्या–5 में अंकित किया गया है कि आवंटित कार्य को 6 माह में पूर्ण करना था। कार्य आवंटन के साथ ही वादी ने कार्य संपादन हेतु वांछित मेन, मशीनरी, लेबर व संसाधनों का प्रबंध कर लिया। सीमेंट हेतु 10 लाख रूपए अग्रिम भुगतान राशि मंगलत सीमेंट लिमिटेड को कर दी। अनुबंध द्विपक्षीय शर्तों पर आधारित था। प्रतिवादीगण द्वारा अनुबंधानुसार अपना अनुबंधीय दायित्व रेसीप्रोकल प्रोमिसेज एवं इम्पलाईड शर्तों का तत्परता के साथ पूर्ण कर वादी को सहयोग प्रदान करना था क्योंकि समय संविदा का सार था।

वादी की ओर से वाद पत्र के पैरा संख्या–6 में अंकित किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा कार्य की निविदा आमंत्रण वर्ष काल 2011 पूर्व किया गया। वादी को कार्यादेश वर्ष काल समाप्ति उपरांत दिनांक 11.10.2011 को दिया गया। निविदा एवं जारी कार्यादेश समयावधि के दौराने अत्यधिक वर्षा के कारण हाड़ौती क्षेत्र के एक्जेस्टिंग रेल्वे ट्रेक पर पहाड़ी के गिर जाने से, जो वादी के आवंटित कार्य स्थल में पड़ता था, पहाड़ी का मलबा अत्यधिक गिरने से वादी को आवंटित साईट की सम्पूर्ण भौगोलिक व तकनीकी स्थिति परिवर्तित हो गई, जिस कारण प्रतिवादीगण वादी को बाधारहित साईड उपलब्ध करवाने में असफल रहे।

वादी ने अपने वाद पत्र में आगे अंकित किया है कि कार्य संपादन हेतु वादी प्रारंभ से ही तत्पर था किंतु प्रतिवादीगण द्वारा कार्य संपादन हेतु व्यवधान रहित कार्य स्थल, डाइंग डिजाइन, साईड प्लान उपलब्ध कराने हेतु मौखिक निवेदन किया गया किंतु प्रतिवादीगण द्वारा विलंब से अनुबंधीय दायित्व की खानापूर्ति व मात्र औपचारिकता निभाते हुए बाहर के कार्यों की डाईंग दिनांक 03.11.2011 को नंबर 1399 मूल प्रदान की गई किंतु चाल उपलब्ध नहीं करवाई। दिनांक 03.11.2011 को मात्र सी.सी.कंकरीट टो–वाल और स्टॉन पीचिंग की डाइंग डिजाईन दी गई किंतु अनुबंध समाप्ति काल तक कंकरीट में टो–वाल बनाने हेतु चाल प्रदान नहीं की गई। स्टोन, पीचिंग आईटम वादी के आईटम में नहीं था, न ही इस हेतु चाल दी गई। अर्थ वक्र की कटिंग का ग्रेड प्रोपर स्लोप में नहीं था। इस प्रकार दिनांक 03.11.2011 को दी गई डाईंग नंबर 1398 के अनुसार 90 से.मी. चौड़ाई में सी.सी. में निर्मित किया जाना था किंतु उक्त डाईंग से हटकर तकनीकी लेप्स में पर्दा डालने की गर्ज से 2 फुट चौड़ाई में स्टोन मेशनरी में जबरन संपादित करवाने हेतु वादी पर दबाव डाला गया और वादी द्वारा परिवर्तित डाईंग व स्पेसिफिकेशन पर कार्य संपादित किया गया। तीसरी डाईंग के अंतर्गत जहां लेबर क्रॉसिंग का कार्य करवाया जाना था, वहां प्रतिवादीगण कार्य करवाए जाने के स्थिति में थे और अपने लेप्सेस को छिपाने की गरज से साईट इन्सपेक्शन बुक में वादी को कहा गया कि साईट इंजीनियर की उपस्थिति में कार्य निष्पादन हेतु नवीन ले–आउट दिया जाएगा, जिसमें प्रतिवादीगण अनुबंध काल समाप्ति तक पूर्ण रूप से असफल रहे, जिससे वादी द्वारा लगाई गई मेन, मशीनरी, लेबर, संयंत्र आदि पूर्ण रूपेण अनुत्पादक रहे और आर्थिक क्षति उठानी पड़ी, जिसको लेकर वादी द्वारा दिनांक 06.02.2012 को अनुबंध के

अनुसार कार्य संपादन हेतु जी–शेड्यूल के अनुसार अनुमोदित डाईंग, डिजाईन कार्य की सम्पूर्ण बाधा रहित चाल उपलब्ध कराने हेतु कहा गया, तब प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 08.02.2012 को टो–वाल की परिवर्तित डाईंग अभियंता से हस्ताक्षरित करवाकर उपलब्ध करवाई गई और वादी को अनुबंध राशि का मात्र 2–3 प्रतिशत कार्य संपादन हेतु स्कॉप उपलब्ध करवाया गया और खुली चाल नहीं दी।

प्रतिवादीगण की ओर से वाद पत्र के पैरा संख्या–6 व 7 को स्वीकार नहीं किया गया तथा जाहिर किया गया कि वादी के स्वयं के दोष एवं ठेके के कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण वादी उक्त ठेके का कार्य नहीं कर पाया, जिससे प्रतिवादीगण को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी और इसके बावजूद वादी द्वारा प्रतिवादीगण पर उक्त संविदा का कार्य समय पर पूरा न होने का दोषारोपण किया गया, जो असत्य व दुर्भावनापूर्ण है। उक्त कार्य निविदा दिनांक 28.06.2011 को खोली गई। निविदा कमेटी को 120 दिन की समयावधि में निविदा फाईनल करनी होती है। कार्य का स्वीकृति पत्र दिनांक 11.10.2011 को वादी के पक्ष में जारी किया गया। इस कारण इस अवधि में वर्षाकाल होना स्वाभाविक है। वादी स्वयं के दोषों के कारण ठेके का कार्य नहीं कर पाना बहाना मात्र है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को अवरोध मुक्त साईट नहीं दी गई हो, यह असत्य है। डाईंग–डिजाईन उपलब्ध नहीं करवाई हो, यह भी असत्य है। वादी के पत्र दिनांक 06.02.2012 का समुचित उत्तर दिनांक 24.02.2012 के जरिए दिया गया।

इस संबंध में वादी की ओर से स्वयं को पी.डब्ल्यू.–1 के रूप में परीक्षित करवाया जाकर कथन किया गया कि निविदा आमंत्रण वर्षाकाल 2011 से पूर्व किया गया और कार्यादेश वर्षाकाल समाप्ति उपरांत दिनांक 11.10.2011 को दिया गया। अत्यधिक वर्षा के कारण पहाड़ी के रेल्वे ट्रेक पर गिर जाने से साईट की भौगोलिक व तकनीकी स्थिति परिवर्तित हो गई।

वादी ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 03.11.2011 को डाईंग नंबर 1399 प्रदान की गई किंतु चाल उपलब्ध नहीं करवाई गई। दिनांक 03.11.2011 को सी.सी. कंकरीट की टो–वाल व स्टोन पीचिंग की डिजाईन दी गई किंतु कंकरीट में टो–वाल बनाने हेतु चाल प्रदान नहीं की गई। दिनांक 03.11.2011 को दी गई डाईंग नंबर 1398 जिसमें 90 से.मी. चौड़ाई में सी.सी. में निर्मित किया जाना था किंतु कार्य दो फुट चौड़ाई में स्टोन मेशनरी में जबरन करवाया गया। तीसरी डाईंग जहां लेबर

क्रॉसिंग में कार्य करवाया जाना था, जिसको लेकर प्रतिवादीगण द्वारा कहा गया कि नवीन ले–आउट दिया जाएगा।

वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्ष्य के खण्डन में प्रतिवादीगण की ओर से गवाह में अशोक पाल सिंह डी.डब्ल्यू.–1 को पेश कर मौखिक साक्ष्य दी गई कि वादी द्वारा स्वयं के संगठात्मक दोष व ठेके के कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण ठेके का कार्य नहीं कर पाया। निविदा दिनांक 28.06.2011 को खोली गई, जो 120 दिन में पूरी करनी होती है और कार्य का स्वीकृति पत्र दिनांक 11.10.2011 को वादी के पक्ष में जारी किया गया, जिस बीच वर्षाकाल होना स्वाभाविक था। डाईंग व डिजाईन वादी को उपलब्ध करवाई गई थी। वादी द्वारा लिखित पत्र दिनांक 06.02.2012 का समुचित उत्तर पत्र दिनांक 24.02.2012 के द्वारा दिया गया।

उभयपक्षकारान की ओर से इसी अनुरूप मौखिक बहस की गई, जिसको लेकर वादी की ओर से न्यायिक दृष्टांतः–

1. **(1979) 2 Supreme Court Cases 70 M/s. Hind Construction Contractors by its sole proprietor Bhikam chand Mulchand Jain (Dead) by LRs Vs State of Maharashtra**

2. **1995 (1) Western Law Cases M/S Sahib Ram & Company Vs The Rajasthan state agriculture marketing board, jaipur**

पेश किए गए। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से न्यायिक दृष्टांतः–

1. **1997 (9) SCC 34 State of Gujarat vs Dayabhai Zaverbahi**

2. **2017 (6) RAJ 582 Gail India LTD vs Punjlloyd LTD**

पेश किए गए।

उक्त न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया प्रतिवादीगण की ओर से न्यायिक दृष्टांत **1997 (9) SCC 34** प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह माना गया कि **This court had held that time was not essence of the contract. That question,**

however, does not arise in this case for the reason that the respondent had abandoned the contract.

न्यायिक दृष्टांत **2017 (6) RAJ 582** में माना गया है कि **" Tender- Execution of works- delay of- in instant case, there were intermediate delays to execution of works- held, considering all these materials on record, the stipulation in clause 57.2.1 land the amounts deducted were by way of liquidated damages and a genuine pre-estimate of loss calculated in monetary terms- They were not merely precautionary conditions not meant to be enforced, but conditions that could be insisted upon, as is evident from clause 57.2.2, which clarifies that "Compensation for Delay/Liquidated Damages stated in sub-clause 57.2.1 above shall be in addition to compensation for Delay/Liquidated Damages stated in sub-clause 57.1.1 of SCC" - appeal allowed.**

जहां तक प्रस्तुत प्रकरण में Time was essence of the contract का प्रश्न है, इस बाबत प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित गवाह श्री अशोक पाल सिंह का अपने प्रतिपरीक्षण में कथन है कि वादी को दिए गए ठेके का सुपरविजन प्रारंभ से अंत तक मेरे द्वारा किया गया। दिनांक 05.02.2012 से दिनांक 02.05.2012 तक मेरे द्वारा सुपरविजन किया गया। वादी को दिए गए कार्य उसे 6 माह में पूर्ण करना था। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि वादी को 6 महीने के बाद एक्सटेंशन दिया गया या नहीं। यह कहना सही है कि रेल्वे की शर्तों में एक्सटेंशन देने का प्रावधान है। एक्सटेंशन देने का कण्डीशनल प्रावधान है। कण्डीशनल से मेरा तात्पर्य यह है कि रेल्वे चाहे तो एक्सटेंशन दे और चाहे तो एक्सटेंशन नहीं दे। मेरी जानकारी में यह नहीं है कि इस ठेके में वादी ने एक्सटेंशन मांगा या नहीं। मेरी जानकारी में है कि रेल्वे ने एक्सटेंशन नहीं दिया। ठेकेदार ने अप्लाई नहीं किया तो रेल्वे ने एक्सटेंशन नहीं दिया। वादी द्वारा एक्सटेंशन

अप्लाई नहीं करने पर भी रेल्वे ने कोई एक्सटेंशन नहीं दिया। यह कहना सही है कि 6 माह की अवधि समाप्त होने के पश्चात रेल्वे के द्वारा कार्य समाप्ति की कोई दिनांक नियत नहीं की गई।

इस प्रकार इस गवाह के इस कथन का अवलोकन किया जाए तो इस गवाह के कथनानुसार यह जाहिर होता है कि रेल्वे के ठेके में एक्सटेंशन का प्रावधान है और एक्सटेंशन का यह कण्डीशनल प्रावधान है कि रेल्वे चाहे तो एक्सटेंशन दे और चाहे तो नहीं दे।

ऐसी स्थिति में वादी की ओर से न्यायिक दृष्टांत **(1979) 2 Supreme Court Cases 70** का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों पर लागू होता है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि **"Contract– Building contracts– Whether time is of the essence of the contract, held, is a question of intention of the parties to be gathered from the terms of the contract– Provision for imposition of penalty and extension of time would militate against such an inference– Time can be made of the essence of the contract by fixing a further period for completion.**

इसी न्यायिक दृष्टांत में यह माना गया है कि **If time was not of the essence of the contract or if the stipulation as to the time fixed for completion held, by reason of waiver, ceased to be applicable then the only course open to the respondent-defendant was to fix some time making it the essence and if within the time so fixed the appellant-plaintiff had failed to complete the work, the respondent-defendant could have rescinded the contract. Therefore, where time was not of the essence of the contract rescission of the contract without fixing a further period for completion, making time the essence was illegal and wrongful amounting to breach of contract by the respondent. The forfeiture of security deposit was thus bad.**

जहां तक प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विवाद बिंदु यह है कि क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादी को समय पर डाईंग आदि नहीं दी गई, चाल उपलब्ध नहीं

करवाई गई या फिर स्वयं वादी द्वारा ठेके का कार्य सुचारू रूप से नहीं किया जा सका। इस बाबत वादी ने अपने वाद पत्र के पैरा संख्या–7 में अंकित किया है कि वादी ने दिनांक 06.02.2012 को प्रतिवादीगण को कार्य के स्कॉप, अनुमोदित डाईंग–डिजाईन आदि को लेकर पत्र लिखा। उक्त पत्र को वादी की ओर से प्रदर्श–3 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अंकित किया गया है कि रेल्वे द्वारा क्लीयर साईट डाईंग–डिजाईन आदि उपलब्ध करवानी थी, जो दिनांक 03.11.2011 के पत्र द्वारा थी किंतु 15 दिन का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी आप से बार–बार सम्पक्र करने के पश्चात भी उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

उक्त पत्र को लेकर प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में अंकित किया है कि वादी के उक्त पत्र का जवाब जरिए पत्र दिनांक 24.02.2012 के दिया गया। प्रतिवादीगण की ओर से उक्त पत्र का जवाब जरिए प्रदर्श ए–7 के दिया गया है, जिसमें टो–वाल इन्सपेक्शन स्टेप हाइट गेज आदि को लेकर डाईंग दिनांक 03.11.2011 को दी गई है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत पत्र को सही भी मान लिया जाए तो यह स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 11.10.2011 को कार्यादेश जारी किया गया और वादी द्वारा दिनांक 10.04.2012 तक 6 माह की अवधि में उक्त कार्य पूर्ण करना था और दोनों पक्ष इसेन्स ऑफ टाइम को स्वीकार करते हैं, उस स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा कार्यादेश जारी करने के पश्चात 23 दिन पश्चात ऐसी डाईंग वादी को दी गई है। अतः ऐसी स्थिति में बिल प्रदर्श–21 के द्वारा डेट ऑफ कमेंट्समेंट दिनांक 05.02.2012 बतलाई गई है, उस स्थिति में यह स्थिति सुस्पष्ट हो जाता है कि न तो प्रतिवादीगण द्वारा समय पर वादी को डाईंग उपलब्ध करवाई गई और न ही वादी द्वारा समय पर कार्य शुरू किया गया।

जहां तक 6 माह में कार्य समाप्त न होने का प्रश्न है, इस बाबत प्रतिवादी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि यह सही है कि प्रदर्श–1 के साथ संलग्न टेंडर शिड्यूल में जो आईटम्स दिए गए हैं, उनका कार्य किस स्थान पर करना है, यह नहीं लिखा हुआ है। प्रतिवादीगण के इस कथन का अवलोकन करने से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि इस संबंध में प्रतिवादी गवाह अशोक पाल सिंह कथन करता है कि टेंडर शेड्यूल में बताए गए आईटम्स को साईड इंजीनियर के निर्देशानुसार ठेकेदार को करना होता है। इस काम का साईट इंजीनियर मैं था। इस प्रकार जब उक्त गवाह स्वयं

साईट इंजीनियर था और उसके बताए अनुसार ठेकेदार को उस स्थान पर काम करना था, जो उक्त गवाह बताता किंतु इस गवाह का ऐसा कोई कथन नहीं है, जिससे जाहिर हो कि वादी को कार्यादेश जारी होते ही प्रतिवादीगण द्वारा उसे वह स्थान बतला दिया गया हो, जहां कार्य किया जाना है।

प्रतिवादीगण के कथनानुसार वादी द्वारा संतोषजनक तरीके से कार्य को समयावधि में पूर्ण करने हेतु प्रयास नहीं करने व तत्पर नहीं रहने के कारण पत्र दिनांक 09.04.2012 लिखा गया। इस संबंध में उक्त पत्र को प्रदर्श–6 के रूप में वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उक्त पत्र के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त पत्र वादी को जहां 7 दिन के नोटिस सहित जी.सी.सी. क्लॉज 62 के तहत दिया गया, जिससे यह जाहिर होता है कि इन्पेक्शन स्टेप्स पूर्ण नहीं की गई है तथा हाईट गेज को शुरू नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित गवाह अशोक पाल सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि अण्डर पास की हाईट गेज की डाईंग दिसम्बर, 2011 को दे दी थी। ऐसी स्थिति में प्रथमतः इस गवाह की साक्ष्य से यह जाहिर होता है कि जब कार्यादेश दिनांक 11.10.2011 को दिया गया और हाईट गेज को लेकर यह गवाह दिसम्बर, 2011 में डाईंग देना कथन करता है, ऐसी स्थिति में इस गवाह का यह कथन गलत हो जाता है कि वादी ने हाईट गेज का कार्य शुरू नहीं किया, जबकि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–6 जो दिनांक 09.04.2012 का है, जिसमें लिखा गया है कि You have received the drawings/Design of Toe wall, inspection steps and height gauge for level crossing on 03.11-2011. But still neigther inspection steps are completed nor height gauge are started despite severe chasing from this side. You have also not applied for DOC extention. इस प्रकार यह पत्र जो दिनांक 09.04.2012 को लिखा गया है, उसके अनुसार उक्त पत्र लिखने के दिन तक हाईट गेज का कार्य शुरू नहीं किया गया और दूसरी ओर गवाह दिसम्बर, 2011 में हाईट गेज की डाईंग देना कथन करता है। ऐसी स्थिति में यह जाहिर होता है कि कार्यादेश दिए जाने के पश्चात दो माह तक हाईट गेज की डाईंग वादी को प्रतिवादीगण द्वारा नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में कुल छः माह में से दो माह तक उक्त डाईंग नहीं देने से कार्य पूर्ण करने की अवधि में से 1/3 अवधि तो ऐसे ही गुजर चुकी थी। दूसरी ओर, प्रतिवादीगण

का दस्तावेज प्रदर्श–21 को लेकर क्रम संख्या–1, 5, 12 के तहत कार्य किया गया है।

टो–वाल जगह को लेकर प्रतिवादीगण गवाह का कथन है कि टो–वाल के लिए ठेकेदार को जगह बतलाई गई थी, जो मैं देखकर बता सकता हूं। ब्रिज संख्या–33 के पास इस डाईंग के अनुसार टो–वाल का कार्य करने के निर्देश लिखित में दिए गए थे। यह गवाह साईड ऑर्डर बुक में आदेश देना कथन करता है और जिसे प्रदर्श ए–3 के रूप में प्रस्तुत किया गया है किंतु प्रदर्श ए–3 में इस बाबत कोई तारीख अंकित नहीं है। दूसरी ओर उक्त गवाह वादी द्वारा ब्रिज–33 के पास टो–वाल का कुछ काम मेशनरी में करना और कंकरीट में कुछ नहीं करना स्वीकार करता है। साथ ही, यह भी स्वीकार करता है कि मेशनरी का जो कार्य किया, उसका भुगतान रेल्वे ने कर दिया। ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि अगर टो–वाल का काम कंकरीट में किया जाना था और मेशनरी में जहां कर दिया गया, उस स्थिति में रेल्वे द्वारा भुगतान क्यों किया गया। यह गवाह यह भी स्वीकार करता है कि प्रदर्श–2 के साथ संलग्न डाईंग पर इन्सपेक्शन स्टेप्स फॉर मेजर ऑफ माईनर ब्रिजेज का काम टेण्डर शेड्यूल के 2101 से 2106 के द्वारा किया गया। वादी द्वारा यह कार्य किया गया। उक्त कार्य प्रदर्श–2 के साथ संलग्न डाईंग के अनुसार करवाया या मौखिक निर्देश से करवाया, यह मुझे आज याद नहीं है। यह गवाह यह भी स्वीकार करता है कि रेल्वे बिल का भुगतान तभी करता है जब ठेकेदार सारी शर्तें पूर्ण करता है। अतः ऐसी स्थिति में बिल प्रदर्श–21 व 22 के अवलोकन से यही जाहिर होता है कि वादी ने उक्त बिल में जो कार्य किया, उसकी समस्त शर्तें वादी द्वारा पूर्ण की गई है।

जहां तक दिनांक 06.02.2012 तक कार्य शुरू न होने का प्रश्न है, इस बाबत प्रतिवादी गवाह स्पष्ट स्वीकार करता है कि यह पत्र रेल्वे को मिला था। प्रदर्श ए–3 को देखकर गवाह ने कहा है कि ब्रिज–37 के स्टेप्स के संबंध में निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर इस गवाह का यह भी कथन है कि प्रदर्श ए–3 में अंकित ब्रिज के स्टेप्स का कार्य दिनांक 06.03.2012 के बाद करवाया गया है। ऐसी स्थिति में गवाह के इस कथन से दो बातें स्पष्ट होती है, एक यह कि ब्रिज–37 के पास स्टेप्स का काम किया गया है और दूसरा, उक्त काम दिनांक 06.03.2012 के बाद करवाया गया है। अतः ऐसी स्थिति में यह भी नहीं माना जा सकता कि वादी द्वारा दिनांक 06.03.2012 के बाद कार्य नहीं किया गया हो।

जहां तक प्रतिवादीगण का यह कथन कि वादी ने हाईट गेज का कोई काम नहीं किया, इसको लेकर प्रतिवादी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि अंडर पास की हाईट गेज डाईंग दिसम्बर, 2011 को दे दी गई थी। अतः ऐसी स्थिति में कार्यादेश दिनांक 11.10.2011 से दिसम्बर, 2011 तक हाईट गेज डाईंग देने तक वादी द्वारा हाईट गेज के संबंध में कोई कार्य किया जाना संभव नहीं था।

वाद पत्र के अवलोकन से जाहिर होता है कि वर्क ऑर्डर के अनुसार कार्य के अनुमानित लागत 2,85,02,780.57/– रूपए थी। उक्त कार्य को 6 माह की अवधि में दिनांक 10.04.2012 तक पूर्ण करना था। इसको लेकर प्रतिवादीगण की ओर से पत्र प्रदर्श–6 दिनांक 09.04.2012 का वादी को प्रस्तुत किया गया किंतु वादी की ओर से पत्र प्रदर्श–7 दिनांक 17.04.2012 का प्रेषित किया गया, जिसमें वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध अनावश्यक कटौती करने और देरी का कारण प्रतिवादीगण की ओर से होना जाहिर करते हुए सिक्योरिटी परफोरमेंट गारंटी रिफण्ड करने की प्रार्थना की गई और उसके पश्चात जरिए पत्र प्रदर्श–8 दिनांक 19.04.2012 के प्रतिवादीगण ने उक्त कॉन्ट्रेक्ट को रिसाईन किया।

इन समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो यह स्थिति उभर कर आती है कि वादी की ओर से पहली बार दिनांक 06.02.2012 को रेल्वे को पत्र प्रदर्श–3 इस आशय का लिखा गया कि आप द्वारा अप्रुव्ड डाईंग व डिजाईन उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जिसका जवाब रेल्वे की ओर से प्रदर्श–6 दिनांक 09.04.2012 के द्वारा जाहिर किया गया कि आपको डाईंग दिनांक 03.11.2011 को उपलब्ध करवा दी गई है और इस संबंध में पत्र प्रदर्श ए–7 जो दिनांक 23.02.2012 का है, में दिनांक 03.11.2011 को डाईंग देना अंकित किया गया है। इन समस्त पत्रों के अवलोकन से यही जाहिर होता है कि डाईंग नहीं देने को लेकर वादी द्वारा प्रतिवादीगण को लिखा गया।

प्रतिवादीगण की ओर से वादी को क्लॉज–62 जी.सी.सी. का नोटिस दिनांक 19.04.2012 को प्रदर्श–8 के रूप में दिया गया तथा उसके पश्चात प्रदर्श–11 दिनांक 15.05.2012 के जरिए वादी के पक्ष में जारी किए गए कान्ट्रेक्ट को रिसाइंड किया गया है।

जहां तक जनरल कण्डीशन ऑफ कॉन्ट्रेक्ट के क्लॉज–62 का प्रश्न है, इस बाबत उक्त क्लॉज उपबंधित करता है कि जहां कॉन्ट्रेक्टर द्वारा कॉन्ट्रेन्ट Abandom कर दिया जाता है, उस स्थिति में रेल्वे की इंजीनियर द्वारा उसे लिखित में एक नोटिस दिया जाएगा और ठेकेदार द्वारा सात दिन के अंदर कोई प्रोगेस नहीं बतलाई जाती है या आदेशों की पालना नहीं की जाती है तो रेल्वे को अधिकार है कि वह ठेकेदार को 48 घंटे का लिखित में नोटिस देकर कॉन्ट्रेक्ट को रिसाइन्ड कर सकती है और उस स्थिति में रेल्वे के पास अधिकार है कि रेल्वे सम्पूर्ण या किसी भाग वाले कार्य को लेबर से करवाए या अन्य किसी कॉन्ट्रेक्टर से करवा सकेगा और उस स्थिति में रेल्वे को ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई सम्पूर्ण या किसी भाग की सिक्युरिटी को जब्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का यह कथन कि वादी द्वारा एक साथ सम्पूर्ण कार्य शुरू नहीं किया गया, सही नहीं माना जा सकता तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी की सम्पूर्ण सिक्युरिटी आदि को जब्त किया गया है, वह भी विधि सम्मत नहीं माना जा सकता।

जहां तक प्रतिवादीगण का यह कथन कि वादी के उक्त कृत्य से प्रतिवादीगण को आर्थिक क्षति हुई है, इस बाबत प्रतिवादी गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण कथन में स्वीकार किया है कि कार्य की समयावधि समाप्त होने पर मौखिक तौर से वादी को टाईम बढ़ाने हेतु एप्लीकेशन देने हेतु कहा गया किंतु पत्र प्रदर्श–7 दिनांक 17.04.2012 से जाहिर होता है कि वादी ने प्रतिवादीगण पर कार्य नहीं करवाने को लेकर आक्षेप लगाए हैं, वहीं प्रतिवादी गवाह अशोक पाल सिंह का कथन है कि वादी द्वारा छोड़ा गया कार्य अन्य रनिंग ठेकेदारों से करवाया गया। किन–किन से करवाया गया, इसका विवरण पत्रावली में नहीं है चूंकि वादी टेंडर कंडीशन के हिसाब से कार्य समाप्त नहीं कर पाया। इस कारण रेल्वे द्वारा उसकी राशि काटी गई, जो एक महत्वपूर्ण कार्य था। 6 महीने में कार्य पूर्ण नहीं होने पर रेल्वे को हुए नुकसान का हमने कोई आकलन नहीं किया। अतः ऐसी स्थिति में जब प्रतिवादी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि शेष कार्य किससे करवाया गया और शेष कार्य करवाने को लेकर प्रतिवादी को कितना नुकसान हुआ। ऐसी स्थिति में पत्र प्रदर्श–10 के जरिए जो राशि काटी गई है, वह भी न्यायोचित नहीं मानी जा सकती है।

वादी अपनी ओर से प्रस्तुत निविदा को रेल्वे द्वारा दिनांक 28.06.2011 को खोलना कथन करता है और दिनांक 11.10.2011 को वादी के पक्ष में कार्य का स्वीकृति पत्र जारी करना कथन करता है। ऐसी स्थिति में कार्यादेश जारी करने से पूर्व राजस्थान में जहां वर्षाकाल होता है, उस स्थिति में वर्षा के उपरांत भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन होना संभव है। दूसरी ओर, वादी ने अपनी साक्ष्य में तीन डाईंग देने बाबत जो साक्ष्य दी है, उसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण की ओर से नहीं किया गया है। हालांकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रतिवादीगण की ओर से रही कमियों को आधार बनाकर वादी अपना वाद सिद्ध नहीं कर सकता। इस हेतु वादी को अपनी साक्ष्य से अपना वाद सिद्ध करना होता है और उपरोक्त किए गए विवेचन से वादी यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि प्रस्तुत प्रकरण में टाईम वाज नोट द इसेंस ऑफ द कॉन्ट्रेक्ट और उस स्थिति में वादी का कॉन्ट्रेक्ट जो रिसाइंड किया गया है वह पूर्णतः सही नहीं माना जा सकता। अतः उक्त विवाद्यक आंशिक रूप से वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–2 "आया वादी द्वारा कार्य पर डिग्रीधारी इंजिनियर का नियोजन प्रमाणित होने के बाद भी प्रतिवादीगण ने जबरन इंजीनियर नियोजन न करने का आक्षेप लगा कटौति कर ली गई, जिस पर दिनांक 10.04.2012 के पत्र से वादी ने एतराज जताया गया ?"

इस विवाद्यक को सिद्ध करने का भार वादी पर था किंतु इस बाबत प्रतिवादीगण की ओर से इस तथ्य को सिद्ध किया गया है कि वादी की ओर से इंजीनियर को कार्य के दौरान नियोजित नहीं किया गया। रेल्वे जैसे कार्य को देखते हुए जहां उक्त कार्य जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ होने की वजह से अगर स्कील्ड इंजीनियर की उपस्थिति में कार्य नहीं किया जाएगा, तो इससे जन–धन की हानि होने से इंकार नहीं किया जा सकता और ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा जो 25,000/– रूपए डिग्रीधारी इंजीनियर के न रखने बाबत आक्षेप लगाकर जो काटी गई है, वह सही है। लिहाजा उक्त विवाद्यक विरूद्ध वादी तय किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–3 "आया प्रतिवादीगण ने अपनी कमियों को छिपाते हुए दिनांक 19.04.2012 को 48 घंटे का नोटिस वादी को देते हुए

अवैध तौर पर उसे टर्मीनेट करते हुए वाद पत्र की चरण संख्या–20 में वर्णित राशियों पर दिनांक 19.04.2012 से दावा दायरी तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पद से 6,38,825/– रूपए इस प्रकार कुल 70,00,000/– रूपए तथा उस पर दावा दायरी से तावसूली तक 18 प्रतिशत वार्षिक से ब्याज वादी, प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है ?"

विवाद्यक संख्या–4 "आया निविदा की शर्तो के अनुसार वादी को ही वांछित मेन पावर तथा मशीनरी आदि की व्यवस्था करनी थी, जिसमें वादी स्वयं के दोषों को छिपाने के लिए बहाने करता रहा तथा स्वयं की अकुशलता, अकर्मण्यता, साधनहीनता, योग्यता प्राप्त इंजीनियर्स के अभाव के कारण कार्य करने में असफल रहा तथा ठेके का कार्य नियत समयावधि 06 माह में पूर्ण नहीं कर सका। इस कारण ठेके की सामान्य शर्त संख्या– 62 के अधीन प्रतिवादीगण ने वादी को नियमानुसार नोटिस दिया तथा वादी का क्लेम मनगढंत व निराधार होने व कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से खारिज होने योग्य है ?"

उक्त दोनों विवाद्यक एक–दूसरे से जुड़े होने के कारण एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ने के कारण इन दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जाना उचित प्रतीत होता है। विवाद्यक संख्या–3 को सिद्ध करने का भार वादी पर था तथा विवाद्यक संख्या–4 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। हालांकि विवाद्यक संख्या–4 विवाद्यक संख्या–3 का काउंटर विवाद्यक है और सिविल विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वादी को अपना वाद सिद्ध करना होता है। ऐसी स्थिति में विवाद्यक संख्या–3 जिसे वादी को सिद्ध करना है अगर वादी के पक्ष में या विरूद्ध सिद्ध हो जाए, उस स्थिति में विवाद्यक संख्या–4 अपने आप ही निस्तारित हो जाता है।

वादी ने अपने वाद पत्र के जरिए पैरा–20 (9) में लोस ऑफ प्रोफिट को लेकर 10 प्रतिशत से कार्य पर एवं ऑवर हेड खर्चा 2 प्रतिशत को लेकर कुल 31,54,368/– रूपए की मांग की है किंतु वादी ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि अगर उसके द्वारा सम्पूर्ण कार्य किया जाता तो उसे उक्त राशि 31,54,368/– रूपए का लाभ होता। उक्त लाभ किस प्रकार होता, इस बाबत किसी प्रकार की साक्ष्य नहीं दी गई है। दूसरी ओर, स्वयं वादी के पत्र प्रदर्श–3 से यह मान भी लिया जाए कि सर्वप्रथम

उसे डाईंग दिनांक 03.11.2011 को उपलब्ध करवाई गई, उस स्थिति में भी वादी उक्त कॉन्ट्रेक्ट को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने में तत्पर हो, ऐसा जाहिर नहीं होता है बल्कि जैसा विवाद्यक संख्या–1 को निस्तारित करते समय यह तया किया जा चुका है कि दोनों पक्षकारान की ओर से तत्परता नहीं बरती गई है। ऐसी स्थिति में वादी उक्त लोस ऑफ प्रोफिट राशि एवं उपरोक्त वर्णित राशियों पर दिनांक 19.04.2012 से दावा दायरी तक 12 प्रतिशत और उसके पश्चात ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी हो, यह नहीं माना जा सकता।

जहां तक हैड 20 (6) मेन, मशीनरी, लेबर, सुपरवाईजर आदि को लेकर आईडियल चार्जेज के रूप में राशि 2,04,000/– रूपए की जो मांग की गई है, उसको लेकर भी वादी की ओर से अपनी साक्ष्य में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि उसके द्वारा कितना मेन पावर लगाया गया, जिन्होंने कितने दिन कार्य किया, उन्हें कितना मजदूरी पेटे भुगतान किया गया, किस प्रकार की मशीनरी लगाई गई, उन्हें क्या भुगतान किया गया और जिनसे कार्य नहीं लिया जा सका। इस बाबत न तो वादी की ओर से कोई साक्ष्य दी गई है और न सपोटिंग में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। अतः ऐसी स्थिति में वादी इस हैड में कुछ भी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

जहां तक वास्तविक संपादित कार्य पेटे अंतिम बिल में देय राशि का प्रश्न है, इस बाबत वादी द्वारा जो वास्तविक कार्य किया गया है, जिसके बिल वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, वह राशि वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। साथ ही, वादी की ओर से पेश की गई अर्नेस्ट मनी व परफोर्मेंस गारंटी राशि वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। इसी अनुरूप विवाद्यक संख्या–3 निष्पादित किया जाता है।

जहां तक विवाद्यक संख्या–4 का प्रश्न है। उक्त विवाद्यक को अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत डिलिट किया जाता है।

निष्कर्ष रूप में विवाद्यक संख्या–1 व 3 आंशिक रूप से वादी के पक्ष में तय हो जाने से वादी का वाद बाबत् वसूली आंशिक डिक्री किए जाने योग्य पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

अतः वादी हरीश चंद गर्ग पुत्र श्री पूरन चन्द गर्ग, प्रो0 मैसर्स हरिश चन्द्र गर्ग, उम्र 52 वर्ष, जाति महाजन, निवासी 896, शास्त्री नगर, दादाबाड़ी, कोटा (राज0) का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण 1. यूनियन ऑफ इण्डिया (सम्मन जनरल मैनेजर, पश्चिम मध्य रेल्वे, इंद्रा नगर, जबलपुर) 2. उप–मुख्य अभियंता (सी) द्वितीय, पश्चित मध्य रेल्वे, कोटा जंक्शन, कोटा (राज0) आंशिक डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादी प्रतिवादीगण से संयुक्त या पृथक–पृथक रूप से उसके द्वारा किए गए कार्य को लेकर प्रस्तुत अंतिम बिल की देय राशि 9,07,841/–रूपए, प्रथम बिल से काटी गई धरोहर राशि 1,23,538/– रूपए, परफोरमेंस गारंटी 14,25,139/– रूपए, अर्नेस्ट मनी 2,90,000/– रूपए कुल 27,46,518/– रूपए प्राप्त करने का अधिकारी होगा तथा उक्त राशि पर निर्णय की दिनांक से तावसूली 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

पक्षकारान वादव्यय अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

(धर्मेंद्र शर्मा)
वाणिज्यिक न्यायाधीश
कोटा

निर्णय आज दिनांक 16.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धर्मेंद्र शर्मा)
वाणिज्यिक न्यायाधीश
कोटा